न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 32/14 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सविता देवी पत्नी कप्तानसिंह जाति जाट निवासी ग्राम रानिवास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:---------- अपीलांट

बनाम

1 मुरलीधर पुत्र बंशीधर जाति ब्राहमण निवासी कोटकासिम हाल 404 हवेली हैदर कुली देहली

:----- मृतक जर्ये वारिस

1/1 पूरणचन्द पुत्र स्व0 मुरलीधर शर्मा जाति ब्राहमण निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर /कौनसी वाल तहसील व जिला रेवाडी हरियाणा

:------ असल रेस्पो0

2 रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद पुत्र मुखराम जाट निवासी राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर :----- मृतक जर्ये वारिस

2/1 दयानन्द पुत्र स्व0 रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद

2/2. धर्मपाल पुत्र स्व0 रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद

2/3 संदीप पुत्र स्व0 रामप्रताप उर्फ रामप्रसाद जाति जाट निवासीयान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर

3. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर, अलवर

3 धर्मपाल पुत्र जौहरलाल जाट साकिन झाडसा तह0 गुडगांवा हाल कोटकासिम जिला अलवर ।

4 जंगली पुत्र हीरा जाट साकिन रानियाबास तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

5 जगदीश पुत्र फत्ता जाट साकिन रानियाबास तह0 कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान

:---- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.4.13 व संशोधित निर्णय दिनांक 24.6.13 द्वारा उपखंड अधिकारी, तिजारा

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री विशम्भर दयाल

2. वकील रेस्पो0 सं0 1/1.:- श्री रामसिंह यादव

3. वकील रेस्पो0 सं0 2/1 से 2/14 :- श्री शशिकांत शर्मा

निर्णय दिनांक 30.4.18

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय दिनांक 29.4.2013 एवं संशोधित आदेश 24.6.13 के खिलाफ है, जिस निर्णय के द्वारा पर्चा डिक्री दिनांक 27.9.86 एवं प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.91 की पालना करने के आदेश दिये गये हैं ।

2 प्रस्तुत अपील में विद्वान वकील अपीलांट ने तर्क दिये कि वह विवादित भूमि की सदभावी केता है । विवादित भूमि में उसके अधिकार निहित है । अपीलांटा आवश्यक पक्षकार है । इसलिये उसे सुना जाना आवश्यक है ।

भ-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

Scanned by CamScanner

अतः निवेदन है कि धारा 96 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1437 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर उक्त इजराय मुकदमा के पक्षकार मदयूनान रेस्पो0 से जयसिंह ठाकरान पुत्र सुल्तान सिंह जाट झाडसा, राजकिशोर पुत्र सरदारसिंह जाट के कब्जे खातेदारी में आई और उक्त जयसिंह ठाकरान वगैरा से उक्त आराजी जर्ये बयनामा दिनांक 17.5.13 को बाकब्जा प्रतिफल अदा करके मैं अपीलांट ने खरीद की है, जिसका इन्तकाल नम्बर 3613 मुझ अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत हो चुका है । अपीलांट सदभावी केता है, परन्तु उसे अपीलाधीन निर्णय प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया और ना ही मृतकों के वारिसान को भी पक्षकार बनाया । मृतक के वारिसान को पक्षकार नहीं बनाये जाने की स्थिति में इजराय प्रार्थना पत्र स्वतः ही अबेट हो चुका था, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर डिक्री की पालना कराने का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया । इतना ही नहीं, निर्णय डिक्री दिनांक 27.9.86 से बाहर जाकर आलोच्य आदेश पारित कर दिया । रेस्पो0 मुरलीधर द्वारा आराजी मुतनाजा पर दखल पाने की रिलीफ मांगी थी, अपने आपको खातेदार दर्ज कराने एवं राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती की रिलीफ नहीं मांगी थी, परन्तु विद्वान तहत न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया । इस प्रकार डिक्री दिनांक 27.9.86 से बाहर जाकर कानूनन निर्णय पारित नहीं किया जा सकता । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में 2014 डी0 एन0 जे0 (एस0 सी0) पेज 607, 2018 (1) डी0 एन0 जे0 राजस्थान पेज 237, सी0 पी0 सी0 के आदेश 21 नियम 103 प्रस्तुत की ।

3 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 का कथन है कि विवादित आराजी की बाबत पूर्व में मुकदमा नम्बर 63/1964 में डिक्री दिनांक 27.9.86 पारित की गई थी, परन्तु इस डिक्री की इजराय नहीं हो पाई थी । इसलिये पालना कराने हेतु हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जो सही तौर पर स्वीकार किया गया है । जहां तक प्रार्थना पत्र अबेट होने का सवाल है तो इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अबेटमैंट का सिद्धान्त वाद पत्र पर लागू होता है, इजराय

भू-प्रबन्ध
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र पर लागू नहीं होता है । इजराय प्रार्थना पत्र में नये सिरे से कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता है । इसलिये सभी को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है । जो मूल डिक्री में पक्षकार थे, उन्हें पक्षकार बना लिया गया है । विवादित भूमि में अपीलांटा का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि की बाबत पूर्व में ही मेरे पक्ष में डिक्री पारित हो चुकी थी । ऐसी भूमि का अन्तरण अवैध है । अपीलांटा का अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । इजराय प्रार्थना पत्र की कोई अपील नहीं होती है । यह अपील चलने योग्य नहीं है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे । विद्वान वकील रेस्पोस0 ने अपनी बहस के समर्थन में आदेश 21 नियम 102 सी0 पी0 सी0, ए0 आई0 आर0 2011 एस0 सी0 43, ए0 आई0 आर0 2011 मद्रास 203, ए0 आई0 आर0 2005, एस0 सी0 पेज 446, ए0 आई0 आर0 2011 एस0 सी0 पेज 1113, आर0 एल0 डब्ल्यू0 1997 (2) राजस्थान पेज 1304 प्रस्तुत की ।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम धारा 96 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर गौर किया । अपीलांटा विवादित भूमि की खरीददार है, इसलिये उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है । उसे सुना जाना न्यायसंगत है । अतः ऐसी स्थिति में उसका प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी0 पी0 सी0 स्वीकार किया जाकर उसे अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है ।

5 प्रकरण का पूर्ण रूप से अध्ययन करने पर स्पष्ट होता है कि पूर्व में विवादित भूमि की बाबत रेस्पो0 के पिता मुरलीधर ने एक मुकदमा नम्बर 63/1964 प्रस्तुत किया था, जो निर्णय दिनांक 27.9.86 द्वारा डिक्री किया गया था, परन्तु उक्त डिक्री की इजराय नहीं हो पाई थी । उक्त डिक्री की पालना कराने हेतु डिक्रीदार मुरलीधर ने तहत न्यायालय में इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जो अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकार किया गया है । मुरलीधर के पक्ष में डिक्री पारित हुई थी । उसे अपनी डिक्री की पालना कराने का पूरा अधिकार है । जहां तक अपीलांट के इस कथन का प्रश्न है कि विवादित भूमि की बाबत उसके पक्ष में बयनामा है तो इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा का

भू-प्रबन्ध अधि...
राजस्व अपील ...

Scanned by CamScanner

विनम्र मत है कि उसे बयनामा के आधार पर अपने अधिकारों की रक्षार्थ सक्षम न्यायालय में जाना चाहिये । इसके अतिरिक्त अपीलांट का यह भी कथन है कि मृतकों के वारिसान को रिकॉर्ड पर न लेने की स्थिति में इजराय प्रार्थना पत्र अबेट हो चुका था । हमारी सुविचारित राय में इजराय प्रार्थना पत्र पर अबेटमैंट का सिद्धान्त लागू नहीं होता है । विद्वान वकील अपीलांट ने ऐसी कोई नजीर/नियम/अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया हो कि इजराय प्रार्थना पत्र पर अबेटमैंट का सिद्धान्त लागू होता है ।

6 जहां तक प्रकरण में वकील अपीलांट का यह कहना कि रेसज्यूडीकेटा केवल स्यूट पर लागू होता है, के सम्बन्ध में वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत की गई नजीरें अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रकरण को नई दिशा देने वाली है । ए0 आई0 आर0 2005 सुप्रीम कोर्ट पेज 446 के अनुसार The principle of resjudicata is based on the need of giving a finality to judicial decisions . The principle which prevents the same case being twice litigated is of general application and is not limited by the specific words of S. 11 of Code of Civil Procedure in this respect. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नजीर ए0 आई0 आर0 2008 एस0 सी0 पेज 1997 के पैरा नम्बर 21 व 22 में सी0 पी0 सी0 के आदेश 21 नियम 102 की व्याख्या करते हुये प्रतिपादित किया है कि Execution of decree Resistance objection by transferee pendent lite Not maintainable . इसी प्रकार ए0 आई0 आर0 सुप्रीम कोर्ट पेज 1120 देवीलाल मोदी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, रतलाम व अन्य में अभिनिर्धारित किया गया है कि The general principle underlying the doctrine of resjudicata is ultimately based on considerations of publicpolicy. One important consideration of publicpolicy is that the decisions pronounced by the courts of competent jurisdiction should be final , unless thet are modified or reserved by appellate authorities . and the other principle is that no one should be made to face the same kind of litigation twice over , because such a process would be contrary to considerations of fair play and justice . Thus, the attempt to re argue the case which has been finally decided by the court of last resort is a clear abuse of process of the court.

Scanned by CamScanner

इसके अतिरिक्त AIR 2008 SC 1997,Rel. on. (Paras 21, 22) एवं Civil P.C. (5 of 1908), O.21, R. 102 - Execution of decree – Resistance/objections by transferee pendent lite is Not maintainable तथा प्रार्थी स्वंय transferee pendent lite की श्रेणी में आता है।

7 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि विवादित भूमि की बाबत रेस्पो0 के पिता मुरलीधर के पक्ष में दिनांक 27.9.86 को डिक्री पारित हुई थी, जिसकी पालना कराने का उसे पूरा अधिकार था । इसलिये उसने इजराय का प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो अपीलाधीन निर्णय द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार की कानूननी त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner